# शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय

लैलूंगा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

तमसो माँ ज्योतिर्गमय

## प्रवेश विवरणिका

## INFORMATION BROCHURE

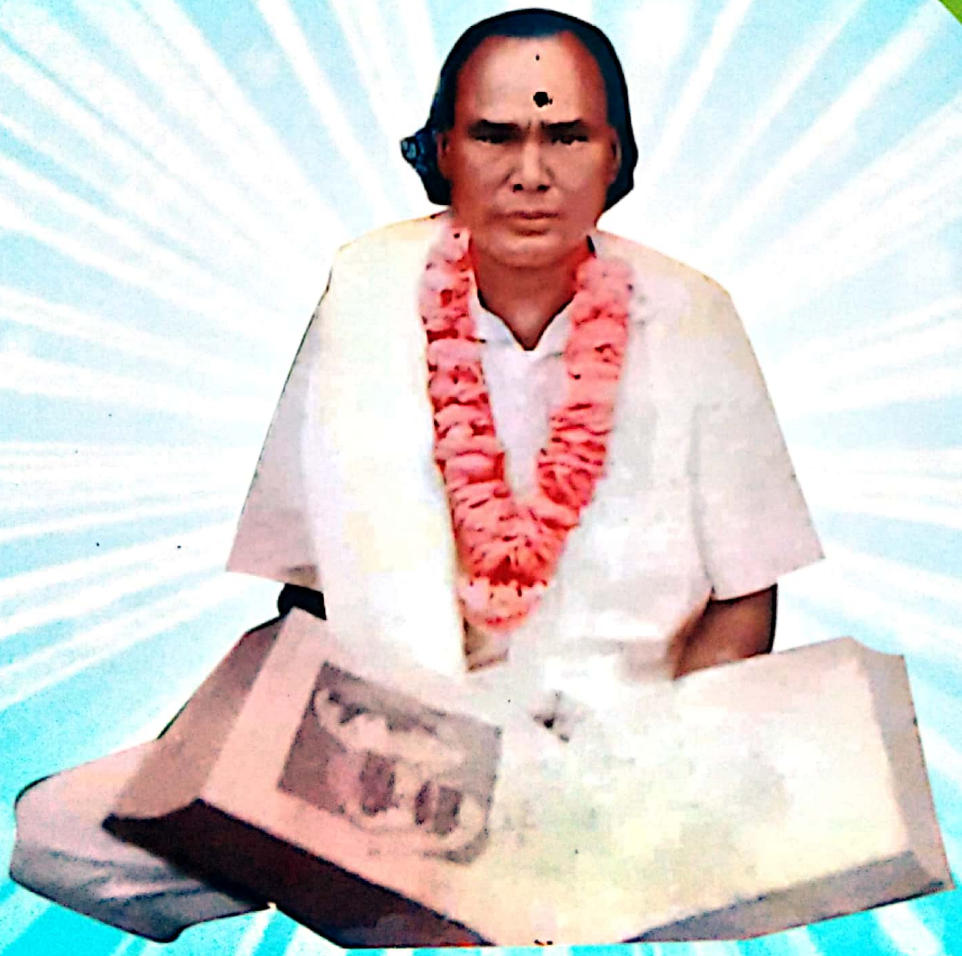

Website : www.govtsggrcollegelailunga.in

# GOVT. SANT GAHIRA GURU RAMESHWAR COLLEGE

Lailunga, Distt. Raigarh (C.G.)

Scanned with CamScanner

# प्राचार्य की कलम से ....

जिला मुख्यालय रायगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर तहसील लैलूंगा से लगभग 03 कि. मी. की दूरी पर लैलूंगा-रायगढ़ मार्ग पर ग्राम कुंजारा में महाविद्यालय स्थित है । यह वनांचल क्षेत्र पूज्य संत गहिरा गुरु रामेश्वर जी की कार्यभूमि रही है इसीलिये महाविद्यालय का नामकरण शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय लैलूंगा किया गया ।

उच्च शिक्षा सुविधा के लिए क्षेत्रवासियों की बलवती भावनाओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सन् 2005 में महाविद्यालय के शुभारंभ की घोषणा कर दी तथा 2008 में महाविद्यालय हेतु सुविधा संपन्न भवन भी बनवा दिया गया। 2018 में 100 सीटर सर्वसुविधा संपन्न कन्या छात्रावास भवन भी महाविद्यालय को दिया गया । इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध नागरिकों तथा छात्र-छात्राओं की मांग पर एम.ए. समाजशास्त्र एवं एम.एस-सी. प्राणीशास्त्र की कक्षायें भी प्रारंभ कर दी गई है । ऐसा विश्वास है कि स्थानीय जागरुकता, कुशल नेतृत्व एवं छत्तीसगढ़ शासन के गुणात्मक विकास की प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता से महाविद्यालय में अन्य सुविधाओं का विस्तार यथाशीघ्र होगा।

इस जनजातीय क्षेत्र में छात्र-छात्राओं की अध्ययन के प्रति जो लालसा है व सीमित संसाधनों के बाद भी महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों तथा अच्छे परीक्षा परिणामों के रुप में परिलक्षित होती है ।

पूज्य श्री संत गहिरा गुरु रामेश्वर जी के पावन कर्मस्थली को नमन करते हुए अपने प्रिय छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ।

**डॉ. व्ही.सी.शुक्ला**
प्रभारी प्राचार्य

Scanned with CamScanner

# शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय

लैलूंगा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

## प्रवेश विवरणिका

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।
2. आवेदन पत्र में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें ।

# GOVT. SANT GAHIRA GURU RAMESHWAR COLLEGE

LAILUNGA, Dist. Raigarh (C.G.)

Website : www.govtsggrcollegelailunga.in

Scanned with CamScanner

# छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

## सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेशभूषा में आयेगा ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं होगा ।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये पहचान पत्र लगाकर ही महाविद्यालय में प्रवेश करेंगें ।

## अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।



Scanned with CamScanner

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक् कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगें ।

# रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/2004 डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । महाविद्यालय या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है । रैगिंग के लिए दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें ।



Scanned with CamScanner

# महाविद्यालय के संकाय एवं पढ़ाये जाने वाले विषय समूह

**कला संकाय :- बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय**

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी) पर्यावरण (केवल प्रथम वर्ष के लिए)
2. ऐच्छिक विषय - हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल एवं इतिहास (कोई भी तीन विषय)

**विज्ञान संकाय :- बी.एस-सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय**

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी) पर्यावरण (केवल प्रथम वर्ष के लिए)
2. ऐच्छिक विषय - बायोलॉजी समूह - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र
   गणित समूह - रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित

**वाणिज्य संकाय :- बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय**

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी) पर्यावरण (केवल प्रथम वर्ष के लिए)
2. अन्य विषय - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी अन्य अनिवार्य विषय

**स्नातकोत्तर - समाजशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र**

## विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

| क्र. | कक्षाएं | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बी.ए. भाग प्रथम | 150 |
| 2.(अ) | बी.एस-सी. भाग प्रथम (बायो. ग्रुप) | 60 |
| 2.(आ) | बी.एस-सी. भाग प्रथम (गणित ग्रुप) | 20 |
| 3. | बी.कॉम. भाग प्रथम | 90 |
| 4. | समाजशास्त्र एम.ए. पूर्व | 40 |
| 5. | प्राणीशास्त्र एम.एस-सी. पूर्व | 30 |



Scanned with CamScanner

# महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की मांग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों को चेतावनी, धमकी देकर किया जायये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरूद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराधन होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

**"राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़**
**द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित"**



Scanned with CamScanner

# महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

## छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र-2021-22

### 1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है ।

### 2. प्रवेश की तिथि :

### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिये जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

**स्पष्टीकरण :-**

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर



Scanned with CamScanner

ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

### 2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

## 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) के अंतर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

## 4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।



Scanned with CamScanner

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाये ।

## 5. प्रवेश की पात्रता :

### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो./गणित समूह) प्रथम वर्श में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/ एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में सकाय की स्थिति में सबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान /अर्हता ही बंधनकारी होंगे।



Scanned with CamScanner

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

### 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

**5.6** AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

## 6. समकक्ष परीक्षा :

**6.1** सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

**6.2** सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिगी देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

**6.3** संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।



Scanned with CamScanner

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

## 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

## 8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।



Scanned with CamScanner

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8. 5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

## 9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

### 9.4 प्रवेश की आयु सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी । बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. के लिये निर्धारित आयु सीमा 25 से 28 वर्ष होगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है ।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी ।



Scanned with CamScanner

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

## 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

## 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

## 12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।



Scanned with CamScanner

# महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

Scanned with CamScanner

# महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

Scanned with CamScanner

# महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

Scanned with CamScanner

# महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

Scanned with CamScanner

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पीछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा। आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों के अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इस विपरित क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों और नाती/नातीन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगत सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

## 13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।



Scanned with CamScanner

## 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट | - 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट | - 03 प्रतिशत |
| (ग) | 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | - 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | - 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | - 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | - 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | - 10 प्रतिशत |
| (झ) | छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट | - 10 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट | - 10 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | - 15 प्रतिशत |

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

## 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | - 02 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | - 04 प्रतिशत |

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | - 06 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | - 07 प्रतिशत |
| (ग) | संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | - 05 प्रतिशत |

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

| | | |
|---|---|---|
| (क) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को | - 15 प्रतिशत |
| (ख) | प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को | - 12 प्रतिशत |
| (ग) | क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | - 10 प्रतिशत |



Scanned with CamScanner

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

## 13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

## 14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

## 15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में



Scanned with CamScanner

कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हये लागू होगा।

## 16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

—00—



Scanned with CamScanner

# रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगें । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।
   - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इसमें चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगें ।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक ।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगें और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।



Scanned with CamScanner

## क. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र / छात्राओं के लिये छात्रवृत्तियों का विवरण

| कक्षा | छात्र दर रुपये | | छात्रा दर रुपये | | आधार / पात्रता |
|---|---|---|---|---|---|
| | गैर छात्रावासी | छात्रावासी | गैर छात्रावासी | छात्रावासी | |
| बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम नवीन प्रवेशित | 55.00 | 100.00 | 70.00 | 110.00 | शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्धारित वार्षिक आय के अनुसार |
| बी.ए., बी.एस-सी. बी.कॉम. प्रवेश नवीनीकरण | 70.00 | 115.00 | 85.00 | 130.00 | |

## ख. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्र / छात्राओं के लिए

| कक्षा | गैर छात्रावासी दर छात्र / छात्रा | छात्रावासी दर छात्र / छात्रा | आधार / पात्रता |
|---|---|---|---|
| बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम. नवीन प्रवेशित | 300 | 570 | शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्धारित वार्षिक आय के अनुसार |
| बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम. प्रवेश नवीनीकरण | 300 | 570 | |

नोट - शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त में समय-समय पर परिवर्तन किया जावेगा ।

## ग. महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध होने वाली अन्य वृत्तियां

| क्र. | कक्षा | अवधि | आधार / पात्रता |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां<br>1. स्नातक | 3 वर्ष | म.प्र. / छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों के अनुसार |
| 2 | प्रायमरी एवं हायर सेकेण्डरी के शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति<br>1. स्नातक | 3 वर्ष | - |
| 3 | राष्ट्रीय कला छात्रवृत्ति<br>1. स्नातक<br>2. स्नातकोत्तर<br>3. शोध | 3 वर्ष<br>2 वर्ष<br>2 वर्ष | -<br>-<br>योग्यता तथा शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है और छात्र द्वारा अर्हकारी परीक्षा में उसी वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए । |
| 4 | एकीकृत छात्रवृत्तियां<br>1. शोध<br><br><br><br>2. स्नातक छात्रवृत्तियां | 2 वर्ष<br><br><br><br>3 वर्ष | केवल योग्यता एवं शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है । इस छात्रवृत्ति हेतु वे छात्र आवेदन करें, जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो। शासन द्वारा जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों के अनुसार<br>- |
| 5 | स्नातक | 3 वर्ष | - |
| 6 | महाविद्यालयों के लिये खेलकूद छात्रवृत्तियां | 1 वर्ष | - |
| 7 | निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्तियां अथवा मुक्त अनुदान | 1 वर्ष | - |
| 8 | डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां | 1 वर्ष | - |



Scanned with CamScanner

## स्वाध्यायी छात्रों को प्रायोगिक कार्य के लिए सुविधा -

प्रायोगिक संबंधी कार्य के लिए स्वाध्यायी छात्रों को 275/- देना होगा । जिसमें अमानत की रकम 100/- तथा महाविद्यालय प्रवेश शुल्क 175/- सम्मिलित है । अमानत की राशि वापसी योग्य है । जिसकी समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित है।

| विवरण | बी.ए./बी.कॉम. भाग - 1 | बी.एस-सी. भाग - 1 | बी.ए./बी.कॉम. भाग - 2, 3 | बी.एस-सी. भाग - 2, 3 |
|---|---|---|---|---|
| **अशासकीय शुल्क (महाविद्यालयीन)** | | | | |
| महाविद्यालयीन विकास शुल्क | 125 | 125 | 125 | 125 |
| सम्मिलित निधि | 100 | 100 | 100 | 100 |
| कॉमन रूम/वाचनालय शुल्क | 100 | 100 | 100 | 100 |
| अमानत राशि | 150 | 150 | - | - |
| वार्षिक स्नेह सम्मेलन | 50 | 50 | 50 | 50 |
| छात्र संघ प्रवेश शुल्क | 10 | 10 | 10 | 10 |
| परिचय पत्र शुल्क | 50 | 50 | 50 | 50 |
| छात्र कल्याण शुल्क | 15 | 15 | 15 | 15 |
| अन्य शुल्क (ग्रंथालय कार्ड) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **योग :–** | 610 | 610 | 460 | 460 |
| **(अशासकीय शुल्क विश्वविद्यालयीन)** | | | | |
| शारीरिक कल्याण शुल्क | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ग्रंथालय शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 |
| युवा गतिविधि शुल्क | 01 | 01 | 01 | 01 |
| छात्र कल्याण शुल्क | 10 | 10 | 10 | 10 |
| छात्र संघ शुल्क | 01 | 01 | 01 | 01 |
| **योग :–** | 182 | 182 | 182 | 182 |
| **(शासकीय शुल्क)** | | | | |
| शिक्षण शुल्क (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु) | 117 | 135 | 117 | 135 |
| प्रवेश शुल्क | 03 | 03 | 03 | 03 |
| स्टेशनरी शुल्क | 02 | 02 | 02 | 02 |
| **योग :–** | 122 | 140 | 122 | 140 |
| जनभागीदारी शुल्क | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **महायोग :–** | 1214 | 1232 | 1064 | 1082 |

नोट :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं सभी वर्ग के छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट होगी ।
2. नये छात्र/छात्राओं एवं अन्य महाविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने पर अमानत राशि रु. 150/- अतिरिक्त देय होगा ।
3. अन्य/बोर्ड विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को माईग्रेशन शुल्क रु. 400/- अतिरिक्त देय होगा।



Scanned with CamScanner

## जनभागीदारी शुल्क :-

जनभागीदारी समिति के निर्णयानुसार प्रत्येक नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थीयों को प्रत्येक सत्र के लिये जनभागीदारी शुल्क के रूप में 300/- जमा करना होगा । स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को भी परीक्षा आवेदन जमा करते समय उक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

## परीक्षा शुल्क :-

1. स्नातक स्तर पर नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा । यह परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है ।

## शुल्क मुक्ति की सुविधा :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा सकती है।

(क) बहन अथवा भाई के कारण सुविधा :-

यदि दो या अधिक सगे भाई महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी है । तो उनमें सबसे बड़े का संपूर्ण शुल्क और शेष का आधा शुल्क देय होगा ।

इस सुविधा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके उसके लिए इसके लिए प्रार्थना पत्र समुपस्थित कर दें और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा के संलग्न कर दें ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधा :-

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास तथा अशासकीय शुल्क ही देना होता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, जिससे यह प्रमाणित किया गया हो कि अनुसूचित जाति अथवा उस अनुसूचित जनजाति शाखा का है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है ।

(ग) बालिकाओं को संपूर्ण शिक्षा शुल्क माफ होगा -

(क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत उल्लेखित सुविधायें विद्यार्थी के अच्छे चाल चलन एवं संतोषजनक प्रगति पर आधारित है । यदि ऐसा प्रमाणित नहीं होता है तो यह सुविधा वापस ली जा सकती है ।

(घ) छ.ग. शासन में सेवारत कर्मचारियों की सुविधा :

1. छ.ग.शासन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवारत कर्मचारियों के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को बी.ए., बी.एस-सी. कक्षाओं में अध्ययन शुल्क माफ होगा ।
2. यह सुविधा प्राप्त करने के लिये उन्हें अपने पिता के कार्यालय के विभागीय प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करा होगा।
3. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण या पूरक परीक्षा की पात्रता होने पर इस सुविधा से वंचित हो जायेगा । परंतु आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में वह सुविधा उसे फिर से मिल सकेगी ।
4. यह सुविधा अच्छे चाल-चलन तथा संतोषजनक प्रति पर निर्भर है । यदि विद्यार्थी हड़ताल में भाग लें तो बगैर सूचना दिये वह सुविधा वापस ले ली जावेगी ।

नोट - उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(ड.) जुलाई 1984 के शैक्षणिक सत्र से प्रवेश के सामान्य शिक्षा के शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत कन्याओं को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिये शैक्षणिक शुल्क जिसमें विज्ञान तथा अन्य विषयों में वसूल की जाने वाली प्रायोगिक फीस (राशि) भी सम्मिलित है उसे मुक्त किया जाता है ।

(च) विद्यार्थी सहायता कोष :- निर्धन एवं योग्य छात्रों को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली में सहायता दी जाती है ।



Scanned with CamScanner

# शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा

## जिला रायगढ़ (छ.ग.)

| क्र. | विषय | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| शैक्षणिक | | | | |
| 1 | प्राचार्य (स्नातक) | 01 | निरंक | 01 |
| 2 | प्राध्यापक, समाजशास्त्र | 01 | —''— | 01 |
| 3 | प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र | 01 | —''— | 01 |
| 4 | सहायक प्राध्यापक - हिन्दी | 01 | —''— | 01 |
| 5 | सहायक प्राध्यापक - अंग्रेजी | 01 | —''— | 01 |
| 6 | सहायक प्राध्यापक - समाजशास्त्र | 01 | 01 | निरंक |
| 7 | सहायक प्राध्यापक - राजनीति शास्त्र | 01 | निरंक | 01 |
| 8 | सहायक प्राध्यापक - अर्थशास्त्र | 01 | —''— | 01 |
| 9 | सहायक प्राध्यापक - भूगोल | 01 | 01 | निरंक |
| 10 | सहायक प्राध्यापक - इतिहास | 01 | निरंक | 01 |
| 11 | सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य | 01 | —''— | 01 |
| 12 | सहायक प्राध्यापक - रसायन शास्त्र | 01 | —''— | 01 |
| 13 | सहायक प्राध्यापक - वनस्पति शास्त्र | 01 | —''— | 01 |
| 14 | सहायक प्राध्यापक - प्राणीशास्त्र | 01 | 01 | निरंक |
| 15 | सहायक प्राध्यापक - भौतिक शास्त्र | 01 | निरंक | 01 |
| 16 | सहायक प्राध्यापक - गणित | 01 | —''— | 01 |
| | योग - | 16 | 03 | 13 |
| गैर शैक्षणिक | | | | |
| 17 | हॉस्टल मैनेजर | 01 | 01 | - |
| 18 | सहायक ग्रेड - 02 | 01 | 01 | - |
| 19 | सहायक ग्रेड - 03 | 03 | - | 03 |
| 20 | प्रयोगशाला तकनीशियन | 04 | 03 | 01 |
| 21 | प्रयोगशाला परिचारक | 05 | 01 | 04 |
| 22 | भृत्य | 04 | 02 | 02 |
| 23 | फर्रास/स्वीपर | 01 | 01 | - |
| 24 | स्वच्छक | 01 | - | 01 |
| 25 | अंशकालीन स्वच्छक | 01 | - | 01 |
| | योग - | 21 | 09 | 12 |



Scanned with CamScanner

# शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा
## जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(इसे परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करें ।)

## अदेय प्रमाण-पत्र

सत्र .....

दिनांक .....

छात्र / छात्रा का नाम .....

संकाय / कक्षा .....

इनकी ओर अधोहस्ताक्षरित विभागों में किसी प्रकार का देय शेष नहीं है ।

| क्र. | विभाग | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | एन.सी.सी. | |
| 2 | एन.एस.एस | |
| 3 | क्रीड़ा विभाग | |
| 4 | ग्रंथालय | |
| 5 | छात्रावास | |
| 6 | लेखापाल | |
| 7 | रसायन शास्त्र | |
| 8 | भौतिक शास्त्र | |
| 9 | वनस्पति शास्त्र | |
| 10 | प्राणीशास्त्र | |
| 11 | भूगोल | |
| 12 | सायकल स्टैण्ड | |
| 13 | अन्य | |

प्रवेश पत्र दिया जाये।

प्रभारी

प्राचार्य

---

प्रवेश पत्र प्राप्त किया ।

दिनांक .....

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर



Scanned with CamScanner

# छात्र/छात्रा का आश्वासन पत्र

1. मैं .....(छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/..... शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की. उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षड्यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूँगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा/बनूँगी जो कंडिका–3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक..... माह..... वर्ष.....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

नाम .....

कक्षा .....

मो.नं. .....

## सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन).....(माह).....(वर्ष).....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**



Scanned with CamScanner

# माता–पिता/अभिभावक का आश्वासन पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती .....(माता–पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. .....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश,पंजीयन/नामांकन सहित) शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका – 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।

   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

नाम.....

पता.....

फोन/मोबाइल नंबर.....

## सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)..... (दिन).....(माह)..... (वर्ष).....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**



Scanned with CamScanner

# APPLICATION FORM FOR ADMISSION SESSION - .....

प्रत्येक पाठ्यक्रम/कक्षा हेतु पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा एवं आवेदन पत्र स्थानांतरणीय नहीं होगा
Separate Application form shall be filled up for separate Course/Class & It is not Transferable from one course to another

## शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा (छ.ग.)
## GOVT. SANT GAHIRA GURU RAMESHWAR COLLEGE, LAILUNGA (C.G.)

S.No. 0176

| पुरूष (Male) | महिला (Female) | तृतीय लिंग (III Gender |
|---|---|---|
| | | |

पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदक अपने वर्ग पर ( ✔ ) चिन्ह लगावें ।

| सा. Gen. | अ.जा. SC. | अ.ज.जा. ST | अ.पि.व. OBC | दिव्यांग PH | स्व.सं.से. FF | सिक्ख Sikh | ईसाई Christn | बौध्द Boudh | पारसी Parsi | जैन Jain | मुस्लिम Muslim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

1. पाठ्यक्रम /कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये .....
   Application for Admission to Course/Class .....
2. आवेदक का नाम श्री/कु. /श्रीमती .....
   (Name of the Candidate Shri/Ku./ Smt.) .....
3. जन्मतिथि (Date of Birth) ..... (शब्दों में) .....
4. आवेदक का जन्मस्थान (Place of Birth) ..... धर्म (Religion) ..... राष्ट्रीयता(Nationality) .....
5. ब्लड ग्रुप (Blood Group) ..... आधार कार्ड नं. (Aadhar No.) .....
6. पिता का नाम (Father's Name) .....
7. माता का नाम (Mother's Name) .....
8. माता/पिता का व्यवसाय ( Profession of Father/Mother) .....
9. आवेदक द्वारा लिये जाने वाले विषयों के नाम (Subjects offered by the candidate) 1) .....
   2) ..... 3) .....
   4) ..... 5) .....
10. पत्र व्यवहार का पता व्हाट्स-एप /मोबाईल नं. सहित (Mailing Address with Whatsapp No./Mobile No.).....
    व्हाट्स-एप एवं मोबाईल नं. .....अन्य मोबाईल नं. .....
    ई-मेल आईडी .....दूरभाष .....
11. उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे आपात परिस्थिति में संपर्क किया जा सके (Person/Local guardian with address, phone)
    ..... दूरभाष .....
12. अंतिम परीक्षा जिसके आधार पर आवेदक प्रवेश लेना चाहता है :

| परीक्षा का नाम Name of Exam | उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of Passing | बोर्ड/विश्वविद्यालय Board / University | विद्यालय/महाविद्यालय School / College | प्राप्तांक Marks Obtained | पूर्णांक Total Marks | प्रतिशत %age | विषय Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

13. यदि पिछले वर्षो में आवेदक का अध्ययन क्रम जारी न रहा हो तो कारण एवं अवधि का उल्लेख कर शपथ पत्र संलग्न करें ।
    If there is a gap in the past years of study attach affidavit stating reason and period of gap.
    .....

Scanned with CamScanner

14. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद/अन्य किसी भी गतिविधियों में भाग लिया हो तो उपलब्धियों का ब्योरा देवें ।
Mention the achievements in the activities like N.C.C. / N.S.S. / Sports / Other
.....

15. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें । (If the Candidate is employed, attach no objection certificate of the employer.) .....

16. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ?यदि हाँ तो किस स्थान की ( State if the candidate is bonafide of C.G. Mention the place. .....

17. आप कहा के निवासी है - 1.शहरी. 2.अर्धशहरी. 3.ग्रामीण। (You belong to which Area : 1- Urban, 2- Semi Urban 3- Rural)

18. संलग्न पत्रों की सूची-(संलग्न अंकसूची एवं जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि छायाप्रतियां स्व-प्रमाणित हो)
**(Xerox Copy of Marksheets and Caste, Domicile Certificate extra are to be self attested)**

1. पिछली परीक्षाओं 10वीं, 12वीं एवं समस्त विश्वविद्यालयीन अंकसूचियॉ
(Marksheets of 10th, 12th and onward University Exams.)
2. जाति / वर्ग प्रमाण-पत्र (Cast / Category certificate)
3. स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण-पत्र (T.C. & Character Certificate)
4. शपथ पत्र ( Affidavit ) if necessary
5. प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)

## आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैने महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्त्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता/करती रहुंगा/रहूँगी तथा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही एवं रैगिंग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह घोषणा करता/क रती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुझे दंडित कर सकते है तथा निष्कासित भी कर सकते है जिसकी पूर्व सूचना मुझे या मेरे पालक को देनाआवश्यक नहीं है। यदि मैं महाविद्यालय/छात्रावास में रेगिंग में लिप्त पाई गई /पाया गया तो मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जावे।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

## पिता / अभिभावक का घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पुत्र/पुत्री/पाल्या द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्यो, उपस्थिति तथा दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के सम्बंध में विशेष ध्यान दूंगा/दूंगी तथा उसके लिये पूर्णत: उत्तरदायी रहते हुये महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूँगा/रहूंगी और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व वहन करूंगा/करूंगी। यदि मेरी पुत्र/पुत्री/पाल्या के विरूद्ध रेगिंग की शिकायत प्राप्त हुई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाए। इसमें मेरी पूर्ण सहमति होगी।

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

## कार्यालयीन उपयोग हेतु (For Office Use Only)

### प्रवेश समिति की अनुशंसा / टिप्पणी (Recommondation / Comment of Admission Committee)

श्री/कु./श्रीमती ..... को कक्षा ..... केविषय/विषयों ..... में प्रवेश की अनुशंसा निम्न शर्तो के अंतर्गत की जाती है। .....

दिनांक.....

प्रति हस्ताक्षर प्राचार्य  सदस्य  सदस्य  हस्ताक्षर संयोजक प्रवेश समिति

## शुल्क शाखा

प्रवेश क्रमांक ..... दिनांक .....  रसीद क्रमांक ..... दिनांक .....

रूपये ..... (शब्दों में ) रूपये ..... प्राप्त किया।

शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

# महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

Scanned with CamScanner

## कन्या छात्रावास (100 सीट)

## खेल गतिविधियां

मूल्य-100/- रू

Scanned with CamScanner